

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADGP/INT/

/2015

Raipur.

Dt.

/ / 2015

To.

Competent Authority,
Telephone Monitoring/Interception
Govt. of Chhattisgarh,
Home Department, Mantralaya,
Raipur

Sub.: Order to intercept mobile no. who is suspected for having links with
Criminal activities.

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or (PAN INDIA ROAMING) from the below mentioned mobile number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		NAME	To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	354318059454290	RAVINDR NATH BOURPARA, AMBIKAPUR	7389949508(Airtel)
	352272059245900	354317059454290		9479299951 (Bsnl)
	355902051328500	352795062483190		9826002167 (Idea)
	911387504413890	352116066542710		9202855072 (tata)
	354797064540790	353397040987720		9202855072 (Aircel)
				9584156096 (voda)
				8269020162 (Videocon)
				9827000021 Rcom GSM

The interception of the aforesaid number may help to prevent any sort of Criminal activities. All the possibilities of acquiring the necessary information in this case by the means have been explored and exhausted and that it is not possible to acquire the information by any other reasonable means.

It is therefore requested that permission for interception of the calls made and received by the above mentioned number may kindly be accorded in the interest of public safety.

Encl. - Proforma (01)

(Mukesh Gupta)
ADG Intelligence
Designated officer
Chhattisgarh, Raipur

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है। (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	RAVINDR NATH BOURPARA, AMBIKAPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051328500 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720
6	डायवर्जन नंबर	7389949508(Airtel), 9479299951 (Bsnl) 9826002167 (Idea), 9202855072 (tata) 9202855072 (Aircel), 9584156096 (voda) 8269020162 (Videocon), 9827000021 Rcom GSM
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार

प्रमाणित
ऑफिसर
पुलिस
पुलिस

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
HOME DEPARTMENT, MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

:: ORDER ::

I, N.K. Aswal, Addl. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Raipur an officer specially authorized in this behalf by the Government of Chhattisgarh u/s 5(2) of the Indian telegraph Act, 1885 and telegraph Rules 1999, am satisfied on the basis of the report submitted by ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh that IMEI Nos. (1)353203060227480, 354318059454290, 352272059245900, 354317059454290, 355902051328500, 352795062483190, 911387504413890, 352116066542710, 354797064540790, 353397040987720 are being used by a person suspected for having links with Criminal activities and it appears that other mode of inquiries and gathering intelligence have failed and that in the interest of public safety and to prevent incitement to the commission of offences;

I hereby order and authorize u/s 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, that all telephonic communications to and from the IMEI Nos. (1)353203060227480, 354318059454290, 352272059245900, 354317059454290, 355902051328500, 352795062483190, 911387504413890, 352116066542710, 354797064540790, 353397040987720 to be intercepted and connected to the police phone (BSNL-94792-99951, IDEA-98260-02167, AIRTEL-73899-49508, VODAFONE-95841-56096, 98270-00021-RCOM-GSM, TATA & AIRCEL-92028-55072, 8269020162-VIDEOCON) and all required informations, so collected therefrom should be given to the ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh or to the Police officer deputed by him.

I, further direct that the officer and the authority to whom the message or classes of messages will be disclosed shall be subject to the provisions of sub section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 and Telegraph rules 1999 and in accordance with the directions given by the Supreme Court in its judgment dated 18/12/1996 in Writ Petition (C) No. 256 of 1991 (People's Union for Civil Liberties (PCL) Vs. Union of India and others) reported in A.I.R. 1997 S.C.568. Please also follow the SOP issued by Department of Telecom on 'Lawful Interception & Monitoring of Telecom Service Providers' issued by Minister of Home Affairs, Govt. of India, Dated 27.01.2014.

This order shall remain in force till two months from the date of issue.

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

Raipur, Date 22/01/2015

No. 08 /PA/Home-Two/2015,

Copy for Necessary Action forwarded to:

1. Designated Officer, ADGP-(INT), PHQ, C.G. Raipur. With reference to your letter No. ADGP/INT/25/2015, Dtd. 16-01-2015.

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समानि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (05), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
बीएसएनएल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9479299951	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajneesh Singh)
Nodal Officer
(ATS, PMU)
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

5

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (00), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
रिलायंस
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9827000021	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajneesh Singh)
Nodal Officer
AT&T P.O.
Raipur, Chhattisgarh

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (07), दिनांक 22/01/2015
प्रति,नोडल आफिसर
आईडिया
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9826002167	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अंत: उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)

नोडल आफिसर

एटीएस, पु.मु., रायपुर

(Rajneesh Singh)

Nodal Officer

(ATS) PUC

Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समानि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (०८), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
एयरटेल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	7389949508	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajneesh Singh)
Nodal Officer
(AT&T P&O)
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (C 9), दिनांक 22/01/2015
प्रति,नोडल आफिसर
वोर्डोफोन
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9584156096	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajneesh Singh)
Nodal Officer
(ATS) PHO
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (1 C), दिनांक 22/01/2015
प्रति,नोडल आफिसर
टाटा लिमिटेड
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015---
विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9202855072	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajnish Singh)
Nodal Officer
(ATS) PUO
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

(10)

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समानि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (11), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
विडियोकॉन
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	8269020162	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajnish Singh)
Nodal Officer
(ATS) P.M.O.
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (12), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर

एयरसेल

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बाबत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 08/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353203060227480 354318059454290 352272059245900 354317059454290 355902051325800 352795062483190 911387504413890 352116066542710 354797064540790 353397040987720	9202855072	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)

नोडल आफिसर

एटीएस, पु.मु., रायपुर

(Rajnish Singh)

Nodal Officer

(ATS-PHQ)

Raipur, Chhattisgarh

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADGP/INT/

/2015

Raipur.

Dt. / / /2015

To,

Competent Authority,
Telephone Monitoring/Interception
Govt. of Chhattisgarh,
Home Department, Mantralaya,
Raipur

Sub.: Order to intercept mobile no. who is suspected for having links with
Criminal activities.

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or (PAN INDIA ROAMING) from the below mentioned mobile number:

Sr. No	Mobile/IMEI no.	Name	Name of Service provider	Diverted LIM Server
1	9303678423	RAJENDRA KUMAR G.E. ROAD, RAIPUR	RCOM (GSM) CG	9827000020
2	9301193876	MANISH GUDIYARI, RAIPUR	IDEA	9826002167
3	9300332001	PRADEEP SATBAHANIYA MANDIR, BILASPUR	RCOM (GSM) CG	9827000021
4	7771919198	DIPAK NAGAR TELIBANDHA RAIPUR	IDEA	9826002167
5	9425518130	BHAGWAT PRASAD HATHNIPARA, BHATAPARA	BSNL(GSM) CG	9479299951
6	8817903653	SANDEP, BALASHRAM PARISAR KATCHEHARY, RAIPUR	RCOM (GSM) CG	9827000021
7	8817903427	SANDEP, BALASHRAM PARISAR KATCHEHARY, RAIPUR	RCOM (GSM) CG	9827000021

The interception of the aforesaid number may help to prevent any sort of Criminal activities. All the possibilities of acquiring the necessary information in this case by the means have been explored and exhausted and that it is not possible to acquire the information by any other reasonable means.

It is therefore requested that permission for interception of the calls made and received by the above mentioned number may kindly be accorded in the interest of public safety.

Encl. - Proforma (06)

(Mukesh Gupta)
ADG Intelligence
Designated officer
Chhattisgarh, Raipur

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	RAJENDRA KUMAR G.E. ROAD, RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9303678423 RCOM (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9827000020
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से समिंदध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार ।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-

(Mukesh Gupta)
Designated Officer
Intelligence, PHO
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-45, C-46, C-47, C-48, C-49, C-50, C-51, C-52, C-53, C-54, C-55, C-56, C-57, C-58, C-59, C-60, C-61, C-62, C-63, C-64, C-65, C-66, C-67, C-68, C-69, C-70, C-71, C-72, C-73, C-74, C-75, C-76, C-77, C-78, C-79, C-80, C-81, C-82, C-83, C-84, C-85, C-86, C-87, C-88, C-89, C-90, C-91, C-92, C-93, C-94, C-95, C-96, C-97, C-98, C-99, C-100, C-101, C-102, C-103, C-104, C-105, C-106, C-107, C-108, C-109, C-110, C-111, C-112, C-113, C-114, C-115, C-116, C-117, C-118, C-119, C-120, C-121, C-122, C-123, C-124, C-125, C-126, C-127, C-128, C-129, C-130, C-131, C-132, C-133, C-134, C-135, C-136, C-137, C-138, C-139, C-140, C-141, C-142, C-143, C-144, C-145, C-146, C-147, C-148, C-149, C-150, C-151, C-152, C-153, C-154, C-155, C-156, C-157, C-158, C-159, C-160, C-161, C-162, C-163, C-164, C-165, C-166, C-167, C-168, C-169, C-170, C-171, C-172, C-173, C-174, C-175, C-176, C-177, C-178, C-179, C-180, C-181, C-182, C-183, C-184, C-185, C-186, C-187, C-188, C-189, C-190, C-191, C-192, C-193, C-194, C-195, C-196, C-197, C-198, C-199, C-200, C-201, C-202, C-203, C-204, C-205, C-206, C-207, C-208, C-209, C-210, C-211, C-212, C-213, C-214, C-215, C-216, C-217, C-218, C-219, C-220, C-221, C-222, C-223, C-224, C-225, C-226, C-227, C-228, C-229, C-230, C-231, C-232, C-233, C-234, C-235, C-236, C-237, C-238, C-239, C-240, C-241, C-242, C-243, C-244, C-245, C-246, C-247, C-248, C-249, C-250, C-251, C-252, C-253, C-254, C-255, C-256, C-257, C-258, C-259, C-260, C-261, C-262, C-263, C-264, C-265, C-266, C-267, C-268, C-269, C-270, C-271, C-272, C-273, C-274, C-275, C-276, C-277, C-278, C-279, C-280, C-281, C-282, C-283, C-284, C-285, C-286, C-287, C-288, C-289, C-290, C-291, C-292, C-293, C-294, C-295, C-296, C-297, C-298, C-299, C-300, C-301, C-302, C-303, C-304, C-305, C-306, C-307, C-308, C-309, C-310, C-311, C-312, C-313, C-314, C-315, C-316, C-317, C-318, C-319, C-320, C-321, C-322, C-323, C-324, C-325, C-326, C-327, C-328, C-329, C-330, C-331, C-332, C-333, C-334, C-335, C-336, C-337, C-338, C-339, C-340, C-341, C-342, C-343, C-344, C-345, C-346, C-347, C-348, C-349, C-350, C-351, C-352, C-353, C-354, C-355, C-356, C-357, C-358, C-359, C-360, C-361, C-362, C-363, C-364, C-365, C-366, C-367, C-368, C-369, C-370, C-371, C-372, C-373, C-374, C-375, C-376, C-377, C-378, C-379, C-380, C-381, C-382, C-383, C-384, C-385, C-386, C-387, C-388, C-389, C-390, C-391, C-392, C-393, C-394, C-395, C-396, C-397, C-398, C-399, C-400, C-401, C-402, C-403, C-404, C-405, C-406, C-407, C-408, C-409, C-410, C-411, C-412, C-413, C-414, C-415, C-416, C-417, C-418, C-419, C-420, C-421, C-422, C-423, C-424, C-425, C-426, C-427, C-428, C-429, C-430, C-431, C-432, C-433, C-434, C-435, C-436, C-437, C-438, C-439, C-440, C-441, C-442, C-443, C-444, C-445, C-446, C-447, C-448, C-449, C-450, C-451, C-452, C-453, C-454, C-455, C-456, C-457, C-458, C-459, C-460, C-461, C-462, C-463, C-464, C-465, C-466, C-467, C-468, C-469, C-470, C-471, C-472, C-473, C-474, C-475, C-476, C-477, C-478, C-479, C-480, C-481, C-482, C-483, C-484, C-485, C-486, C-487, C-488, C-489, C-490, C-491, C-492, C-493, C-494, C-495, C-496, C-497, C-498, C-499, C-500, C-501, C-502, C-503, C-504, C-505, C-506, C-507, C-508, C-509, C-510, C-511, C-512, C-513, C-514, C-515, C-516, C-517, C-518, C-519, C-520, C-521, C-522, C-523, C-524, C-525, C-526, C-527, C-528, C-529, C-530, C-531, C-532, C-533, C-534, C-535, C-536, C-537, C-538, C-539, C-540, C-541, C-542, C-543, C-544, C-545, C-546, C-547, C-548, C-549, C-550, C-551, C-552, C-553, C-554, C-555, C-556, C-557, C-558, C-559, C-560, C-561, C-562, C-563, C-564, C-565, C-566, C-567, C-568, C-569, C-570, C-571, C-572, C-573, C-574, C-575, C-576, C-577, C-578, C-579, C-580, C-581, C-582, C-583, C-584, C-585, C-586, C-587, C-588, C-589, C-590, C-591, C-592, C-593, C-594, C-595, C-596, C-597, C-598, C-599, C-600, C-601, C-602, C-603, C-604, C-605, C-606, C-607, C-608, C-609, C-610, C-611, C-612, C-613, C-614, C-615, C-616, C-617, C-618, C-619, C-620, C-621, C-622, C-623, C-624, C-625, C-626, C-627, C-628, C-629, C-630, C-631, C-632, C-633, C-634, C-635, C-636, C-637, C-638, C-639, C-640, C-641, C-642, C-643, C-644, C-645, C-646, C-647, C-648, C-649, C-650, C-651, C-652, C-653, C-654, C-655, C-656, C-657, C-658, C-659, C-660, C-661, C-662, C-663, C-664, C-665, C-666, C-667, C-668, C-669, C-670, C-671, C-672, C-673, C-674, C-675, C-676, C-677, C-678, C-679, C-680, C-681, C-682, C-683, C-684, C-685, C-686, C-687, C-688, C-689, C-690, C-691, C-692, C-693, C-694, C-695, C-696, C-697, C-698, C-699, C-700, C-701, C-702, C-703, C-704, C-705, C-706, C-707, C-708, C-709, C-710, C-711, C-712, C-713, C-714, C-715, C-716, C-717, C-718, C-719, C-720, C-721, C-722, C-723, C-724, C-725, C-726, C-727, C-728, C-729, C-730, C-731, C-732, C-733, C-734, C-735, C-736, C-737, C-738, C-739, C-740, C-741, C-742, C-743, C-744, C-745, C-746, C-747, C-748, C-749, C-750, C-751, C-752, C-753, C-754, C-755, C-756, C-757, C-758, C-759, C-760, C-761, C-762, C-763, C-764, C-765, C-766, C-767, C-768, C-769, C-770, C-771, C-772, C-773, C-774, C-775, C-776, C-777, C-778, C-779, C-780, C-781, C-782, C-783, C-784, C-785, C-786, C-787, C-788, C-789, C-790, C-791, C-792, C-793, C-794, C-795, C-796, C-797, C-798, C-799, C-800, C-801, C-802, C-803, C-804, C-805, C-806, C-807, C-808, C-809, C-810, C-811, C-812, C-813, C-814, C-815, C-816, C-817, C-818, C-819, C-820, C-821, C-822, C-823, C-824, C-825, C-826, C-827, C-828, C-829, C-830, C-831, C-832, C-833, C-834, C-835, C-836, C-837, C-838, C-839, C-840, C-841, C-842, C-843, C-844, C-845, C-846, C-847, C-848, C-849, C-850, C-851, C-852, C-853, C-854, C-855, C-856, C-857, C-858, C-859, C-860, C-861, C-862, C-863, C-864, C-865, C-866, C-867, C-868, C-869, C-870, C-871, C-872, C-873, C-874, C-875, C-876, C-877, C-878, C-879, C-880, C-881, C-882, C-883, C-884, C-885, C-886, C-887, C-888, C-889, C-890, C-891, C-892, C-893, C-894, C-895, C-896, C-897, C-898, C-899, C-900, C-901, C-902, C-903, C-904, C-905, C-906, C-907, C-908, C-909, C-910, C-911, C-912, C-913, C-914, C-915, C-916, C-917, C-918, C-919, C-920, C-921, C-922, C-923, C-924, C-925, C-926, C-927, C-928, C-929, C-930, C-931, C-932, C-933, C-934, C-935, C-936, C-937, C-938, C-939, C-940, C-941, C-942, C-943, C-944, C-945, C-946, C-947, C-948, C-949, C-950, C-951, C-952, C-953, C-954, C-955, C-956, C-957, C-958, C-959, C-960, C-961, C-962, C-963, C-964, C-965, C-966, C-967, C-968, C-969, C-970, C-971, C-972, C-973, C-974, C-975, C-976, C-977, C-978, C-979, C-980, C-981, C-982, C-983, C-984, C-985, C-986, C-987, C-988, C-989, C-990, C-991, C-992, C-993, C-994, C-995, C-996, C-997, C-998, C-999, C-1000, C-1001, C-1002, C-1003, C-1004, C-1005, C-1006, C-1007, C-1008, C-1009, C-1010, C-1011, C-1012, C-1013, C-1014, C-1015, C-1016, C-1017, C-1018, C-1019, C-1020, C-1021, C-1022, C-1023, C-1024, C-1025, C-1026, C-1027, C-1028, C-1029, C-1030, C-1031, C-1032, C-1033, C-1034, C-1035, C-1036, C-1037, C-1038, C-1039, C-1040, C-1041, C-1042, C-1043, C-1044, C-1045, C-1046, C-1047, C-1048, C-1049, C-1050, C-1051, C-1052, C-1053, C-1054, C-1055, C-1056, C-1057, C-1058, C-1059, C-1060, C-1061, C-1062, C-1063, C-1064, C-1065, C-1066, C-1067, C-1068, C-1069, C-1070, C-1071, C-1072, C-1073, C-1074, C-1075, C-1076, C-1077, C-1078, C-1079, C-1080, C-1081, C-1082, C-1083, C-1084, C-1085, C-1086, C-1087, C-1088, C-1089, C-1090, C-1091, C-1092, C-1093, C-1094, C-1095, C-1096, C-1097, C-1098, C-1099, C-1100, C-1101, C-1102, C-1103, C-1104, C-1105, C-1106, C-1107, C-1108, C-1109, C-1110, C-1111, C-1112, C-1113, C-1114, C-1115, C-1116, C-1117, C-1118, C-1119, C-1120, C-1121, C-1122, C-1123, C-1124, C-1125, C-1126, C-1127, C-1128, C-1129, C-1130, C-1131, C-1132, C-1133, C-1134, C-1135, C-1136, C-1137, C-1138, C-1139, C-1140, C-1141, C-1142, C-1143, C-1144, C-1145, C-1146, C-1147, C-1148, C-1149, C-1150, C-1151, C-1152, C-1153, C-1154, C-1155, C-1156, C-1157, C-1158, C-1159, C-1160, C-1161, C-1162, C-1163, C-1164, C-1165, C-1166, C-1167, C-1168, C-1169, C-1170, C-1171, C-1172, C-1173, C-1174, C-1175, C-1176, C-1177, C-1178, C-1179, C-1180, C-1181, C-1182, C-1183, C-1184, C-1185, C-1186, C-1187, C-1188, C-1189, C-1190, C-1191, C-1192, C-1193, C-1194, C-1195, C-1196, C-1197, C-1198, C-1199, C-1200, C-1201, C-1202, C-1203, C-1204, C-1205, C-1206, C-1207, C-1208, C-1209, C-1210, C-1211, C-1212, C-1213, C-1214, C-1215, C-1216, C-1217, C-1218, C-1219, C-1220, C-1221, C-1222, C-1223, C-1224, C-1225, C-1226, C-1227, C-1228, C-1229, C-1230, C-1231, C-1232, C-1233, C-1234, C-1235, C-1236, C-1237, C-1238, C-1239, C-1240, C-1241, C-1242, C-1243, C-1244, C-1245, C-1246, C-1247, C-1248, C-1249, C-1250, C-1251, C-1252, C-1253, C-1254, C-1255, C-1256, C-1257, C-1258, C-1259, C-1260, C-1261, C-1262, C-1263, C-1264, C-1265, C-1266, C-1267, C-1268, C-1269, C-1270, C-1271, C-1272, C-1273, C-1274, C-1275, C-1276, C-1277, C-1278, C-1279, C-1280, C-1281, C-1282, C-1283, C-1284, C-1285, C-1286, C-1287, C-1288, C-1289, C-1290, C-1291, C-1292, C-1293, C-1294, C-1295, C-1296, C-1297, C-1298, C-1299, C-1300, C-1301, C-1302, C-1303, C-1304, C-1305, C-1306, C-1307, C-1308, C-1309, C-1310, C-1311, C-1312, C-1313, C-1314, C-1315, C-1316, C-1317, C-1318, C-1319, C-1320, C-1321, C-1322, C-1323, C-1324, C-1325, C-1326, C-1327, C-1328, C-1329, C-1330, C-1331, C-1332, C-1333, C-1334, C-1335, C-1336, C-1337, C-1338, C-1339, C-1340, C-1341, C-1342, C-1343, C-1344, C-1345, C-1346, C-1347, C-1348, C-1349, C-1350, C-1351, C-1352, C-1353, C-1354, C-1355, C-1356, C-1357, C-1358, C-1359, C-1360, C-1361, C-1362, C-1363, C-1364, C-1365, C-1366, C-1367, C-1368, C-1369, C-1370, C-1371, C-1372, C-1373, C-1374, C-1375, C-1376, C-1377, C-1378, C-1379, C-1380, C-1381, C-1382, C-1383, C-1384, C-1385, C-1386, C-1387, C-1388, C-1389, C-1390, C-1391, C-1392, C-1393, C-1394, C-1395, C-1396, C-1397, C-1398, C-1399, C-1400, C-1401, C-1402, C-1403, C-1404, C-1405, C-1406, C-1407, C-1408, C-1409, C-1410, C-1411, C-1412, C-1413, C-1414, C-1415, C-1416, C-1417, C-1418, C-1419, C-1420, C-1421, C-1422, C-1423, C-1424, C-1425, C-1426, C-1427, C-1428, C-1429, C-1430, C-1431, C-1432, C-1433, C-1434, C-1435, C-1436, C-1437, C-1438, C-1439, C-1440, C-1441, C-1442, C-1443, C-1444, C-1445, C-1446, C-1447, C-1448, C-1449, C-1450, C-1451, C-1452, C-1453, C-1454, C-1455, C-1456, C-1457, C-1458, C-1459, C-1460, C-1461, C-1462, C-1463, C-1464, C-1465, C-1466, C-1467, C-1468, C-1469, C-1470, C-1471, C-1472, C-1473, C-1474, C-1475, C-1476, C-1477, C-1478, C-1479, C-1480, C-1481, C-1482, C-1483, C-1484, C-1485, C-1486, C-1487, C-1488, C-1489, C-1490, C-1491, C-1492, C-1493, C-1494, C-1495, C-1496, C-1497, C-1498, C-1499, C-1500, C-1501, C-1502, C-1503, C-1504, C-1505, C-1506, C-1507, C-1508, C-1509, C-1510, C-1511, C-1512, C-1513, C-1514, C-1515, C-1516, C-1517, C-1518, C-1519, C-1520, C-1521, C-1522, C-1523, C-1524, C-1525, C-1526, C-1527, C-1528, C-1529, C-1530, C-1531, C-1532, C-1533, C-1534, C-1535, C-1536, C-1537, C-1538, C-1539, C-1540, C-1541, C-1542, C-1543, C-1544, C-1545, C-1546, C-1547, C-1548, C-1549, C-1550, C-1551, C-1552, C-1553, C-1554, C-1555, C-1556, C-1557, C-1558, C-1559, C-1560, C-1561, C-1562, C-1563, C-1564, C-1565, C-1566, C-1567, C-1568, C-1569, C-1570, C-1571, C-1572, C-1573, C-1574, C-1575, C-1576, C-1577, C-1578, C-1579, C-1580, C-1581, C-1582, C-1583, C-1584, C-1585, C-1586, C-1587, C-1588, C-1589, C-1590, C-1591, C-1592, C-1593, C-1594, C-1595, C-1596, C-1597, C-1598, C-1599, C-1600, C-1601, C-1602, C-1603, C-1604, C-1605, C-1606, C-1607, C-1608, C-1609, C-1610, C-1611, C-1612, C-1613, C-1614, C-1615, C-1616, C-1617, C-1618, C-1619, C-1620, C-1621, C-1622, C-1623, C-1624, C-1625, C-1626, C-1627, C-1628, C-1629, C-1630, C-1631, C-1632, C-1633, C-1634, C-1635, C-1636, C-1637, C-1638, C-1639, C-1640, C-1641, C-1642, C-1643, C-1644, C-1645, C-1646, C-1647, C-1648, C-1649, C-1650, C-1651, C-1652, C-1653, C-1654, C-1655, C-1656, C-1657, C-1658, C-1659, C-1660, C-1661, C-1662, C-1663, C-1664, C-1665, C-1666, C-1667, C-1668, C-1669, C-1670, C-1671, C-1672, C-1673, C-1674, C-1675, C-1676, C-1677, C-1678, C-1679, C-1680, C-1681, C-1682, C-1683, C-1684, C-1685, C-1686, C-1687, C-1688, C-1689, C-1690, C-1691, C-1692, C-1693, C-1694, C-1695, C-1696, C-1697, C-1698, C-1699, C-1700, C-1701, C-1702, C-1703, C-1704, C-1705, C-1706, C-1707, C-1708, C-1709, C-1710, C-1711, C-1712, C-1713, C-1714, C-1715, C-1716, C-1717, C-1718, C-1719, C-1720, C-1721, C-1722, C-1723, C-1724, C-1725, C-1726, C-1727, C-1728, C-1729, C-1730, C-1731, C-1732, C-1733, C-1734, C-1735, C-1736, C-1737, C-1738, C-1739, C-1740, C-1741, C-1742, C-1743, C-1744, C-1745, C-1746, C-1747, C-1748, C-1749, C-1750, C-1751, C-1752, C-1753, C-1754, C-1755, C-

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानांतर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	MANISH GUDIYARI, RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9301193876 IDEA (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9826002167
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार ।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	PRADEEP SATBAHANIYA MANDIR, BILASPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो).	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9300332001 RCOM (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9827000020
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरो में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-


 Designated Officer
 Intelligence Dept.
 Raipur Chhattisgarh

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	DIPAK NAGAR TELIBANDHA RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	7771919198 IDEA (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9826002167
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सन्निध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण से प्राप्त परिणाम-
		प्रथम बार

(Mukesh Gupta)
Designated Officer
Intelligence, PHO
...

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	BHAGWAT PRASAD HATHNIPARA, BHATAPARA
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9425518130 BSNL(GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9479299951
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सन्दिग्ध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	SANDEP, BALASHRAM PARISAR KATCHEHARY, RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	8817903653 8817903427 RCOM(GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9827000021
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सन्दिग्ध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाईन पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार

(Muzes Post)
Designated Officer
Intelligence Branch
Raipur, Chhattisgarh

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
HOME DEPARTMENT, MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR**

:: ORDER ::

Naya Raipur, Date ²²/01/2015

I, N.K. Aswal, Addl. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Raipur an officer specially authorized in this behalf by the Government of Chhattisgarh u/s 5(2) of the Indian telegraph Act, 1885 and telegraph Rules 1999, am satisfied on the basis of the report submitted by ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh that Mobile Nos. (1)RCOM-(GSM)-CG-93036-78423 (2)IDEA-93011-93876 (3)RCOM-(GSM)-CG-93003-32001 (4)IDEA-77719-19198 (5)BSNL-(GSM)-CG-94255-18130 (6)RCOM-(GSM)-CG-88179-03653 (7)RCOM-(GSM)-CG-88179-03427 are being used by a person suspected for having links with Criminal activities and it appears that other mode of inquiries and gathering intelligence have failed and that in the interest of public safety and to prevent incitement to the commission of offences;

I hereby order and authorize u/s 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, that all telephonic communications to and from the Mobile Nos. (1)RCOM-(GSM)-CG-93036-78423 (2)IDEA-93011-93876 (3)RCOM-(GSM)-CG-93003-32001 (4)IDEA-77719-19198 (5)BSNL-(GSM)-CG-94255-18130 (6)RCOM-(GSM)-CG-88179-03653 (7)RCOM-(GSM)-CG-88179-03427 to be intercepted and connected to the police phone (98270-00020, 98260-02167, 98270-00021, 94792-99951) and all required informations, so collected therefrom should be given to the ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh or to the Police officer deputed by him.

I, further direct that the officer and the authority to whom the message or classes of messages will be disclosed shall be subject to the provisions of sub section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 and Telegraph rules 1999 and in accordance with the directions given by the Supreme Court in its judgment dated 18/12/1996 in Writ Petition (C) No. 256 of 1991 (People's Union for Civil Liberties (PCL) Vs. Union of India and others) reported in A.I.R. 1997 S.C.568. Please also follow the SOP issued by Department of Telecom on 'Lawful Interception & Monitoring of Telecom Service Providers' issued by Minister of Home Affairs, Govt. of India, Dated 27.01.2014.

This order shall remain in force till two months from the date of issue.

(N.K. Aswal)
Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.
Raipur, Date ²²/01/2015

No. 09 /PA/Home-Two/2015,

Copy for Necessary Action forwarded to:

Designated Officer, ADGP-(INT), PHQ, C.G. Raipur. With reference to your letter No. ADGP/INT/26/2015, Dtd. 16-01-2015.

(N.K. Aswal)
Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (13), दिनांक 22/01/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
बीएसएनएल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 09/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाइन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	94255-18130	9479299951	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajnish Singh)
Nodal Officer
(ATC) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (14), दिनांक 22/01/2015
प्रति,नोडल आफिसर
रिलायंस
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 09/पीए/गृह-दो/2015, दि. 22.01.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी.आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	93036-78423	9827000020	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	93003-32001	9827000021	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
03	88179-03653	9827000021	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
04	88179-03427	9827000021	60 दिवस, दि. 22.01.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(Rajnesh Singh)
Nodal Officer
AT&T HQ
Raipur, Chh. Pradesh

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No.ADGP/INT/ 105 /2015 Raipur, Dt. 06 / 07 /2015

To,

Competent Authority,
Telephone Monitoring/Interception
Govt. of Chhattisgarh,
Home Department, Mantralaya,
Raipur

Sub.: Order to intercept mobile no. who is suspected for having links with Criminal activities.

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or (PAN INDIA ROAMING) from the below mentioned mobile number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		NAME	To be diverted to LIM Server
	353058067196600	353202060227480	G. THRINAD SIVANAND NAGAR RAIPUR	7389949508(Airtel)
	354382066516290	358095059573100		9479299951 (Bsnl)
	356983061500980	355470061088310		9826002167 (Idea)
	351982066487130			9202855072 (tata)
				9202855072 (Aircel)
				9584156096 (voda)
				8269020162 (Videocon)
				9827000021 Rcom GSM

The interception of the aforesaid number may help to prevent any sort of Criminal activities. All the possibilities of acquiring the necessary information in this case by the means have been explored and exhausted and that it is not possible to acquire the information by any other reasonable means.

It is therefore requested that permission for interception of the calls made and received by the above mentioned number may kindly be accorded in the interest of public safety.

Encl. - Proforma (01)

(Mukesh Gupta)
ADG Intelligence
Designated officer
Chhattisgarh, Raipur

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	G. THRINAD SIVANAND NAGAR RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	353058067196600, 353202060227480 354382066516290, 358095059573100 356983061500980, 355470061088310 351982066487130
6	डायवर्जन नंबर	7389949508(Airtel), 9479299951 (Bsnl) 9826002167 (Idea), 9202855072 (tata) 9202855072 (Aircel), 9584156096 (voda) 8269020162 (Videocon), 9827000021 Rcom GSM
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार

(Mukesh Gupta)
Designated Officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
HOME DEPARTMENT, MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR**

:: ORDER ::

I, N.K. Aswal, Addl. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Raipur an officer specially authorized in this behalf by the Government of Chhattisgarh u/s 5(2) of the Indian telegraph Act, 1885 and telegraph Rules 1999, am satisfied on the basis of the report submitted by ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh that IMEI Nos. (1)353058067196600, 353202060227480, 354382066516290, 358095059573100, 356983061500980, 355470061088310, 351982066487130 are being used by a person suspected for having links with Criminal activities and it appears that other mode of inquiries and gathering intelligence have failed and that in the interest of public safety and to prevent incitement to the commission of offences;

I hereby order and authorize u/s 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, that all telephonic communications to and from the IMEI Nos. (1)353058067196600, 353202060227480, 354382066516290, 358095059573100, 356983061500980, 355470061088310, 351982066487130 to be intercepted and connected to the police phone (BSNL-94792-99951, IDEA-98260-02167, AIRTEL-73899-49508, VODAFONE-95841-56096, 98270-00021-CDMA & GSM-(RELIANCE), TATA & AIRCEL-92028-55072, 82690-20162-VIDEOCON) and all required informations; so collected therefrom should be given to the ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh or to the Police officer deputed by him.

I, further direct that the officer and the authority to whom the message or classes of messages will be disclosed shall be subject to the provisions of sub section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 and Telegraph rules 1999 and in accordance with the directions given by the Supreme Court in its judgment dated 18/12/1996 in Writ Petition (C) No. 256 of 1991 (People's Union for Civil Liberties (PCL) Vs. Union of India and others) reported in A.I.R. 1997 S.C.568. Please also follow the SOP issued by Department of Telecom on 'Lawful Inception & Monitoring of Telecom Service Providers' issued by Minister of Home Affairs, Govt. of India, Dated 27.01.2014.

This order shall remain in force till two months from the date of issue.

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

Raipur, Date 10/02/2015

No. 46 /PA/Home-Two/2015,

Copy for Necessary Action forwarded to:

1. Designated Officer, ADGP-(INT), PHQ, C.G. Raipur. With reference to your letter No. ADGP/INT/105/2015, Dtd. 06-02-2015.

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (33), दिनांक 11/02/2015
प्रति;

नोडल आफिसर
एयरसेल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाइन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
03	354382066516290	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
04	358095059573100	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
05	356983061500980	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
06	355470061088310	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
07	351982066487130	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रॉमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनैश सिंह)
नोडल आफिसर
(एटीएस, पु.मु., रायपुर)
(A.D) PHO
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (33-A), दिनांक 11 /02/2015
प्रति,नोडल आफिसर
वीडियोकॉन
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015---
विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाइन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
03	354382066516290	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
04	358095059573100	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
05	356983061500980	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
06	355470061088310	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
07	351982066487130	8269020162	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनैश सिंह)
(नोडल आफिसर)
(Rajenish Singh)
एटीएस/पु.मु., रायपुर
(A.T.S. PMQ)
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (33-B), दिनांक 11/02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
टाटा लिमिटेड
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लार्इन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td
03	354382066516290	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td
04	358095059573100	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td
05	356983061500980	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td
06	355470061088310	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td
07	351982066487130	9202855072	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---" ---</td

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(A/O) PHO
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (३३-८), दिनांक ११/०२/२०१५
प्रति,नोडल आफिसर
वोडाफोन
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बाबत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/२०१५, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लार्सन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---
03	354382066516290	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---
04	358095059573100	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---
05	356983061500980	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---
06	355470061088310	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---
07	351982066487130	9584156096	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---''---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
(राजनेश सिंह)
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(ATS) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (33-D), दिनांक 11/02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
एयरटेल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बाबत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लार्सन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
03	354382066516290	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
04	358095059573100	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
05	356983061500980	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
06	355470061088310	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
07	351982066487130	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
11/02/2015

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समानि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (२३-६), दिनांक ११/०२/२०१५
प्रति,

नोडल आफिसर
रिलायंस
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
03	354382066516290	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
04	358095059573100	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
05	356983061500980	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
06	355470061088310	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
07	351982066487130	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस/पु.मु. रायपुर
Nodal Officer
(ATS) PMQ
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (23-F), दिनांक /02/2015
प्रति,नोडल आफिसर
बीएसएनएल
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
03	354382066516290	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
04	358095059573100	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
05	356983061500980	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
06	355470061088310	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"
07	351982066487130	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)

नोडल आफिसर

एटीएस/पु.मु. रायपुर

Nodal Officer

(ATS) PHQ

Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (34 -), दिनांक 11/02/2015
प्रति,नोडल आफिसर
आईडिया
छत्तीसगढ़, रायपुरविषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत्।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 46/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015---
विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा
संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न आईएमईआई नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	आईएमईआई नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	353058067196600	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	353202060227480	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
03	354382066516290	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
04	358095059573100	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
05	356983061500980	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
06	355470061088310	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---
07	351982066487130	9826002167	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---"---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल
इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
(विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर)
Nodal Officer
(ATS) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

(33)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADGP/INT/

100

/2015

Raipur,

Dt. 06/02/2015

To,

Competent Authority,
Telephone Monitoring/Interception
Govt. of Chhattisgarh,
Home Department, Mantralaya,
Raipur

Sub.: Order to intercept mobile no. who is suspected for having links with Criminal activities.

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or (PAN INDIA ROAMING) from the below mentioned mobile number:

Sr. No	Mobile/IMEI no.	Name	Name of Service provider	Diverted LIM Server
1	9425575307	G. THRINAD SIVANAND NAGAR RAIPUR	BSNL (GSM) CG	9479299951
2	7714057257	VIVEK SINGH DEENDAYAL UPADHYANAGAR	AIRTEL (L.L.)	7389949508
3	7712432177	RAMESH PRASAD DEENDAYAL UPADHYANAGAR	BSNL (L.L.)	9479299951
4	8817835062	VIVEK SINGH DEENDAYAL UPADHYANAGAR	RCOM(GSM)CG	9827000021
5	9826171941	RAVINDR SINGH BOURPARA, AMBIKAPUR	IDEA (GSM) CG	9826002167
6	9300033000	VINOD KUMAR TELIBANDHA RAIPUR	RCOM(CDMA)CG	9827000020

The interception of the aforesaid number may help to prevent any sort of Criminal activities. All the possibilities of acquiring the necessary information in this case by the means have been explored and exhausted and that it is not possible to acquire the information by any other reasonable means.

It is therefore requested that permission for interception of the calls made and received by the above mentioned number may kindly be accorded in the interest of public safety.

Encl. - Proforma (05)

(Mukesh Gupta)
ADG Intelligence
Designated officer
Chhattisgarh, Raipur

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	G. THRINAD SIVANAND NAGAR RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9425575307 BSNL (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9479299951
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सन्दिग्ध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-

(अधीक्षक पुलिस)
राजस्थान पुलिस
राजस्थान पुलिस
राजस्थान पुलिस

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	VIVEK SINGH DEENDAYAL, UPADHYANAGAR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	7714057257 AIRTEL (L.L.) 8817835062 RCOM (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	7389949508 (AIRTEL), 9827000021 (RCOM)
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-

(आज्ञा की जाती है)
D. J. / 10/11/2017
10/11/2017
Rajesh Chandra Singh

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	RAMESH PRASAD DEENDAYAL UPADHYANAGAR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	7712432177 BANL (L.L.)
6	डायवर्जन नंबर	9479299951
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सगिंध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अतःरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		-

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानान्तर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	RAVINDR SINGH BOURPARA, AMBIKAPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9826171941 IDEA (GSM) CG
6	डायवर्जन नंबर	9826002167
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सन्दिग्ध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार ।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण से प्राप्त परिणाम-

:: प्रोफार्मा ::

क्र.	वांछित सूचना का विवरण	पूर्ण विवरण
1	व्यक्ति/धारक का नाम एवं पता जिसका टेलीफोन मोबाईल नंबर समानांतर लाईन पर सुना जाना है । (संबंधित टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रमाणित)	VINOD KUMAR TELIBANDHA RAIPUR
2	ऐसे व्यक्ति/धारक का अपराधिक इतिहास या अपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता का विवरण (यदि कोई हो)	अज्ञात ।
3	ऐसे व्यक्ति/धारक का व्यवसाय	ज्ञात नहीं ।
4	ऐसा व्यक्ति/धारक यदि लोक सेवक हो तो उसका पदनाम/उसकी संस्था/संगठन का नाम	ज्ञात नहीं ।
5	टेलीफोन/मोबाईल नंबर जिसे समानान्तर लाईन पर सुना जाना है एवं संबंधित टेलीफोन आपरेटिंग कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	9300033000 RCOM (CDMA)
6	डायवर्जन नंबर	9827000020
7	टेलीफोन/मोबाईल नंबरों को समानान्तर लाईन पर सुने जाने का पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण (यदि एफआईआर दर्ज है, तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जाए)	अत्यंत विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई मोबाइल धारक द्वारा करोड़ों रुपये हवाला के जरिये मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है तथा यह भी आसूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अगामी कुछ दिनों में नगद रकम हवाई मार्ग से सशुद्ध स्थानों में भेजा जाना है। इतनी बड़ी मात्रा में रूपयों के लेन देन होने की पुष्टि भी हुई है। अतः Indian Telegraph Act 1985, Section 5 (2) के अंतर्गत Public Safety and Public Emergency के तहत उक्त मोबाइल नंबर का अंतरोधन किया जाना आवश्यक है।
8	वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये क्या अन्य सभी प्रयास कर लिये गये हैं और समानान्तर लाईन पर सुने जाने के अलावा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये और कोई विकल्प शेष नहीं है ।	हां। वांछित जानकारी/ प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त करने के लिये अंतरोधन किया जाना आवश्यक है ।
9	यदि प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को विगत एक वर्ष में समानान्तर लाई पर पूर्व में सुना गया हो, तो उस दशा में निम्न विवरण उपलब्ध कराया जाये :-	प्रथम बार ।
प्रश्नगत टेलीफोन/मोबाईल नंबर को पूर्व में समानान्तर लाईन पर सुनने के लिए कितनी बार अनुमति प्राप्त की गई ।		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण की अवधि (कब से कब तक)
प्रथम बार		प्रथम बार
		प्रत्येक अनुमति में अनुश्रवण से प्राप्त परिणाम-

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
HOME DEPARTMENT, MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR**

:: ORDER ::

Naya Raipur, Date 10/02/2015

I, N.K. Aswal, Addl. Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Raipur an officer specially authorized in this behalf by the Government of Chhattisgarh u/s 5(2) of the Indian telegraph Act, 1885 and telegraph Rules 1999, am satisfied on the basis of the report submitted by ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh that Mobile Nos. (1)BSNL-GSM-CG-94255-75307 (2)AIRTEL-(L.L.)-77140-57257 (3)BSNL-(L.L.)-77124-32177 (4)RCOM-(GSM)-CG-88178-35062 (5)IDEA-(GSM)-CG-98261-71941 (6)RCOM-(CDMA)-CG-93000-33000 are being used by a person suspected for having links with Criminal activities and it appears that other mode of inquiries and gathering intelligence have failed and that in the interest of public safety and to prevent incitement to the commission of offences;

I hereby order and authorize u/s 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885, that all telephonic communications to and from the Mobile Nos. (1)BSNL-GSM-CG-94255-75307 (2)AIRTEL-(L.L.)-77140-57257 (3)BSNL-(L.L.)-77124-32177 (4)RCOM-(GSM)-CG-88178-35062 (5)IDEA-(GSM)-CG-98261-71941 (6)RCOM-(CDMA)-CG-93000-33000 to be intercepted and connected to the police phone (94792-99951, 98260-02167, 98270-00020, 98270-00021, 73899-49508) and all required informations, so collected therefrom should be given to the ADGP-INT-PHQ-Raipur, Chhattisgarh or to the Police officer deputed by him.

I, further direct that the officer and the authority to whom the message or classes of messages will be disclosed shall be subject to the provisions of sub section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 and Telegraph rules 1999 and in accordance with the directions given by the Supreme Court in its judgment dated 18/12/1996 in Writ Petition (C) No. 256 of 1991 (People's Union for Civil Liberties (PCL) Vs. Union of India and others) reported in A.I.R. 1997 S.C.568. Please also follow the SOP issued by Department of Telecom on 'Lawful Interception & Monitoring of Telecom Service Providers' issued by Minister of Home Affairs, Govt. of India, Dated 27.01.2014.

This order shall remain in force till two months from the date of issue.

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

No. 47 /PA/Home-Two/2015,

Copy for Necessary Action forwarded to:

1. Designated Officer, ADGP-(INT), PHQ, C.G. Raipur. With reference to your letter No. ADGP/INT/106/2015, Dtd. 06-02-2015.

Raipur, Date 10/02/2015

(N.K. Aswal)

Addl. Chief Secretary,
Govt. of Chhattisgarh,
Home Deptt. Mantralaya,
Naya Raipur.

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (३२), दिनांक ११/०२/२०१५
प्रति,

नोडल आफिसर
आईडिया
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	9826171941	9826002167	60 दिवस, दि. .02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल
इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (३२), दिनांक ११/०२/२०१५
प्रति,

नोडल आफिसर
आईडिया
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	9826171941	9826002167	60 दिवस, दि. .02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
(रजनेश सिंह)
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(A/S) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक - समानि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (31), दिनांक 11/02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
बीएसएनएल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बर के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	9425575307	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन **LIM Server** पर करने का कष्ट करें।

(रजनश सिंह)

नोडल आफिसर

एटीएस/पु.मु. रायपुर

Node Officer

(100) PHQ

Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (30), दिनांक 11 /02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
रिलायंस
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न मोबाईल नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	मोबाईल नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	8817835062	9827000021	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर
02	9300033000	9827000020	60 दिवस, दि. 10.02.2015	---

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रीमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस/पु.मु. रायपुर
छत्तीसगढ़
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (29), दिनांक 11/02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
एयरटेल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि.10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न लैण्ड लाईन नम्बर के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	लैण्ड लाईन नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	0771-4057257	7389949508	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(ATS) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

अति-आवश्यक

सर्वथा गोपनीय

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
क्रमांक - समनि/एटीएस/विशा/पु.मु./अंत:रोधन/2015-14 (७६), दिनांक ११/02/2015
प्रति,

नोडल आफिसर
बीएसएनएल
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- सेक्शन 5 (2) इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट के अंतर्गत अंत:रोधन करने बावत।
संदर्भ :- गृह विभाग, छ.ग. शासन के आदेश क्र.- 47/पीए/गृह-दो/2015, दि. 10.02.2015

विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्न लैण्डलाइन नम्बरों के अंतरोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.	लैण्ड लाईन नम्बर	डायवर्सन नम्बर (लॉग कोड)/पी. आर.आई.लाईन	अंत:रोधन अवधि एवं तिथि	अंत:रोधन हेतु अधिकृत इकाई
01.	0771-2432177	9479299951	60 दिवस, दि. 10.02.2015	एटीएस/विशा, पु.मु., रायपुर

अतः उपरोक्तानुसार नम्बरों के कॉल/एस.एम.एस./जी.पी.आर.एस. डेटा का (ऑल इंडिया रोमिंग) अंत:रोधन LIM Server पर करने का कष्ट करें।

(रजनेश सिंह)
नोडल आफिसर
(Rajneesh Singh)
एटीएस, पु.मु., रायपुर
(ATS) PHQ
Raipur, Chhattisgarh

①

आपके द्वारा पत्र में अपराध क्रमांक 09/2015 धारा-109, 120(बी)भा.द.वि., 13(1) (डी), सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के प्रकरण में इंटरसेप्शन स्वीकृति आदेश की छायाप्रति चाही गई थी, तत्संबंध में निर्देशानुसार, इंटरसेप्शन स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

श्री संजय देवस्थले
निरीक्षक
ईओडब्ल्यू रायपुर


INCHARGE
C.M.C.
S.B., P.H.O.

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 4108 /2014

Raipur, Dt. 09/12/2014

To,

Nodal Officer
BSNL
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
1	9407730210	9479299951
2	9425253224	9479299951

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 409 /2014

Raipur, Dt. 09/12/2014

To,

Nodal Officer
RCOM
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
1	8817903500	9827000021
2	8817903329	9827000021
3	8817903307	9827000021
4	8817903999	9827000021
5	8817903653	9827000021
6	8817903623	9827000021
7	8817903640	9827000021
8	9303678423	9827000020

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR**Top Secret/Most Immediate**

No. ADG/INT/ 410 /2014

Raipur, Dt. 09/12 /2014

To,

Nodal Officer
IDEA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
1	9826956641	9826002167
2	9826171941	9826002167

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

(5)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 15 /2015
To,

Raipur, Dt. 12 / 01 /2015

Nodal Officer
BSNL
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
1	9425518130	9479299951

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur PHQ
Raipur Chhattisgarh

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Designated officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 16 /2015

Raipur, Dt. 12 / 11 /2015

To,

Nodal Officer
IDEA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	9301193876	9826002167
02	7354010735	9826002167
03	7771919198	9826002167

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

- 1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Raipur Chhattisgarh

(7)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 16 /2015
To,

Raipur, Dt. 12 /01 /2015

Nodal Officer
BSNL
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	9479299951
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		

(Mukesh Gupta)
Designated officer, Gupta)
ADG, Intelligence Officer
Chhattisgarh, Raipur, PHQ
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur, PHQ
Designated Officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

2

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 18 - A /2015
To,

Raipur, Dt. 12 /01 /2015

Nodal Officer
IDEA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	9826002167
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

Copy to :-

- 1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur

(9)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 18-B /2015
To,

Raipur, Dt. 12 /01 /2015

Nodal Officer
RCOM
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	9827000021
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		

(Mukesh Gupta)

Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)

Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

(10)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 18 / 2015
To,

Raipur, Dt. 17 / 01 / 2015

Nodal Officer
TATA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	9202855072
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur PHQ
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

(11)

Top Secret/Most Immediate

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

No. ADG/INT/ 18-D /2015
To,

Raipur, Dt. 17 / 11 /2015

Nodal Officer
AIRTEL
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	7389949508
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Raipur Chhattisgarh

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 12 E /2015
To,

Raipur, Dt. 12 /01 /2015

Nodal Officer
VODA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number		To be diverted to LIM Server
1	353203060227480	357413047289320	9584156096
	351656052626830	126600063602900	
	354905052700470	354797064540790	
	352272059245900	354318059454290	
	355902051328500	354317059454290	
	911387504413890	352795062483190	
	357413047289320	352116066542710	
	353397040987720		


(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-
1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.


(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Designated Officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

Top Secret/ Most Immediate

No. ADG/INT/ 89 /2015

Raipur, Dt 31 / 01 /2015

To.

Nodal Officer
RCOM
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	8817903346	9827000021
02	8817903318	9827000021
03	8817903350	9827000021
04	354382066516290	9827000021

(Mukesh Gupta)

Designated officer

ADG, Intelligence

Chhattisgarh, Raipur

Raipur, Chhattisgarh

Copy to :-

- 1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)

Designated officer

ADG, Intelligence

Chhattisgarh, Raipur

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGA RH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 99 /2015

Raipur, Dt. 03/ 02/2015

To,

Nodal Officer
BSNL
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	353058067196600	9479299951
02	353202060227480	9479299951
03	358095059573100	9479299951
04	356983061500980	9479299951
05	355470061088310	9479299951
06	354322067135230	9479299951

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Intelligence, PHQ

Copy to :-
1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
(Mukesh Gupta)
Designated Officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGA RH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 112 /2015

Raipur, Dt. 10/02/2015

To,

Nodal Officer
IDEA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	9425253224	9826002167
02	9755555559	9826002167

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Designated Officer
Intelligence PHQ
Raipur Chhattisgarh

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGA RH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 113 /2015

Raipur, Dt. 20/02/2015

To,

Nodal Officer
TATA
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999
--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	9827197924	9202855072

(Mukesh Gupta)
Designated Officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh PHQ
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
Designated Officer
Intelligence PHQ
Raipur Chhattisgarh

POLICE HEADQUARTERS, CHHATTISGARH, RAIPUR

Top Secret/Most Immediate

No. ADG/INT/ 117/2015

Raipur, Dt. 11/02/2015

To,

Nodal Officer
RCOM
MP/CG

Sub.: Request for monitoring of mobile phone no. under Rule 419-A para 2(1) sub para (ii) of the Indian Telegraph Act (First amendment) Rules 1999

--0--

It is submitted that the below mentioned mobile number is being used by a suspect, who is suspected for having links with Criminal activities. Hence, urgent interception u/s 419-A of the Indian Telegraph Act (first amendment) rule 1999 para 2 (I) sub para (ii) of below mentioned number is required. In order to apprehend the absconded suspect/accused, it is necessary to intercept to all incoming and outgoing calls (messages) to or from (PAN INDIA ROAMING) the below mentioned mobile/imei number:

S.No.	Mobile /IMEI Number	To be diverted to LIM Server
01	9300097613	9827000020

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, PHQ
Raipur Chhattisgarh

Copy to :-

1- Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Home Department, Mantralaya, Raipur for information Pl.

(Mukesh Gupta)
Designated officer
ADG, Intelligence
Chhattisgarh, Raipur
(Mukesh Gupta)
Designated Officer
Intelligence, PHQ
Raipur Chhattisgarh